संख्या–33/XXVIII-5-2009-85/2008

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादूनः दिनांकः 19 जनवरी, 2009

विषयः वित्तीय वर्ष 2008–09 में ब्लड बैंक एस0 पी0 एस0 चिकित्सालय,ऋषिकेश, जनपद–देहरादून के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प/1/23/2008/25182, दिनांक 31.7.2008 तथा उसके क्रम में परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश के पत्रांक:1378/कार्य–15/19, दिनॉक:10.11.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में श्री राज्यपाल महोदय ब्लड बैंक एस0 पी0 एस0 चिकित्सालय,ऋषिकेश, जनपद–देहरादून के भवन निर्माण कार्य हेतु आगणन की आकलित लागत रू0 24,00,000.00 (रू0 चौबीस लाख मात्र) के सापेक्ष औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 22,60,000.00 (रू0 बाईस लाख साठ हजार मात्र) पर प्रशासकीय/ वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 में संलग्नकानुसार कुल रू0 22,60,000.00 (रू0 बाईस लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2– आगणन में उल्लिखित दरें केवल आगणन गठित के लिये ही अनुमन्य है। कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार परको तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

3– उक्त धनराशि कोषागार से तत्काल आहरित की जायेगी तथा परियोजना प्रबन्धक, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम ऋषिकेश, जनपद–देहरादून को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब की दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नही किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाउचर संख्या एवं दिनॉक की सूचना तत्काल शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।

5 कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृत प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है।स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7– धनराशि उन्ही मदों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है।

8– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जाय।

9– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय 31.03.2009 से पूर्व सुनिश्चित कर इसका वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

10– एक मुश्त प्राविधानों का कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए ।

11– प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा तथा कार्य की अनुमोदित लागत तक ही रखा जायेगा।

12– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

13– निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं स्टोर पर्चेज नियमों/उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के सुसंगत प्राविधानों का पालन कडाई से किया जाय।

14– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्चधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य कर लें। निरीक्षण के पश्चात दिए गए निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

15– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व प्रयोगशाला से परीक्षण अवश्य करा लिया जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

16– स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

17– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV-219(2006) देहरादून दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से पालन किया जाय।

18– जी0पी0डब्लू0 फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

19– उक्त व्यय आय–व्ययक 2008–09 में अनुदान संख्या–12 लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 110–अस्पताल तथा औषधालय 09–ब्लड बैंक की स्थापना/निर्माण– आयोजनागत –00– 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

20– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–436(P)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/2008 दिनांक 15–01–2009 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

संख्या–33(1)/XXVIII-5-2009-85/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल उत्तराखण्ड।
4– स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
5– जिलाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
7– मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून ।
8– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
9– अपर सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
10– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
11– निजी सचिव, मा0 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
12– परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश, देहरादून।
13– बजट राजकोषीय, नियोजन व ससाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
14– मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
15– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
16– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

शासनादेश सं0–33/XXVIII-5-2009-85/2008 दिनांक 19 जनवरी, 2009 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	जनपद का नाम	निर्माण ईकाई का नाम	आगणन की आंकलित धनराशि	अनुमोदित लागत	वर्ष 08– 09 में स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	ब्लड बैंक एस0 पी0 एस0 चिकित्सालय, ऋषिकेश का भवन निर्माण	देहरादून	उत्तराखण्ड पेयजल निगम	24.00	22.60	22.60
			योग	24.00	22.60	22.60

(रू0 बाईस लाख साठ हजार मात्र)

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव